निगरानी / टीए / 4197 / 02 / बीकानेर
बीजा बनाम मोहनराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-2018	**एकल–पीठ** **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री जे0के0 पंत अधिवक्ता प्रार्थीगण। (2)श्री पी0एस0 दशोरा अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 2–8–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अप्रार्थीगण ने एक दावा एवं दावा के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.97 द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध इकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी इसके बाद अप्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक अवमानना प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–5–02 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थीगण को 7 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष पेश की जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 2–8–02 द्वारा खारिज करदी ,जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– विद्वान अभिभाषकगण को निगरानी के गुणावगुण पर सुना गया। 4– अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि धारा 39 नियम 2–ए के प्रार्थनापत्रों के नोटिसों की तारीख पेशियें की कभी कोई सूचना प्रार्थीगण को नही दी गयी और ना ही किसी नोटिस पर उनकी तामील करवाई गयी। प्रार्थीगण को बिना सुनवाई कर व उन्हे सुनवाई का मौका दिये उनके विरुद्ध इकतरफा आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी है। उनका यह भी तर्क है कि आदेश 39 नियम 2ए के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ	

निगरानी / टीए / 4197 / 02 / बीकानेर
बीजा बनाम मोहनराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को किसी प्रकार की कार्यवाही करने व सजा देने का अधिकार नही है। उनका आगे तर्क है कि जिन व्यक्तियों को भूमि विक्रय की गयी थी जिनके नाम इंतकाल चढा था उन्हे प्रकरण में पक्षकार ही नही बनाया गया है और उन्हे सुने बिना उनका इंतकाल निरस्त नही किया जा था । ऐसी स्थिति में निगरानीधीन निर्णय कानून सम्मत नही होने से निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया। 4— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और निगरानीधीन निर्णय को यथोचित बताते हुए निवेदन किया कि न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2—ए के तहत सजा दी जा सकती है जैसा कि 2001 आरबीजे पेज 79 में निर्धारण किया गया है। चूँकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थीगण की जानकारी में था और उनके वकील भी दौराने आदेश उपस्थित रहे थे। जहॉ तक प्रार्थीगण पर समनों की प्रोपर तामील नही होने का प्रश्न है, वह इस स्टेज पर नही उठाया जा सकता है। इंतकाल खारिज करने के बारे में उनका तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति डिस—ओबिडिएन्स करके आये तो उसे वापिस उसी स्थिति में रखा जावेगा जो स्थिति डिसओबिडिएन्स से पूर्व थी। अन्त में दोनो अधीनस्थ दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को कानूनन सम्मत बताते हुए निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया गया। 5— विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि आदेश 39 नियम 2—ए के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार की कार्यवाही करने व सजा देने का अधिकार नही है। इस सम्बन्ध मे हमारा यह मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक स्पेशल एक्ट होने के साथ साथ प्रक्रियात्मक अधिनियम भी है। ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 208 के अन्तर्गत मूल में दिये गये है। ऐसी किसी परिशिष्ट में नही दिया गया है कि आदेश 39 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 पर लागू नही होगे। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा आरबीजे 2001 पेज 79 में उद्धरणों का	

निगरानी/टीए/4197/02/बीकानेर
बीजा बनाम मोहनराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन किया गया है, उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरुप से लागू होत है। चूँकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलांटस को जानबूझ कर न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए जो सजा दी गयी है वह उचित व कानून सम्मत है, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 2–8–02 में विस्तृत विवेचन के साथ अपील को खारिज करने में कोई कानून त्रुटि नही की है। चूँकि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विस्तृत विवेचन एवं समवर्ती निर्णय होने उक्त निर्णयों में हस्तगत निगरानी माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। लिहाजा यह हस्तगत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 7– फलस्वरुप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 2–8–2002 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

निगरानी / टीए / 4197 / 02 / बीकानेर
बीजा बनाम मोहनराम